लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2917

दिनांक 18.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

"एनसीडीपीडी के तहत कार्यान्वित कार्यक्रम"

2917. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या किसी अनुकूलित कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम के अभाव में कारीगर और शिल्पकार समुदाय वैश्विक बाजारों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सुसज्जित कारीगरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) राष्ट्रीय डिजाइन एवं उत्पाद विकास केन्द्र (एनसीडीपीडी) द्वारा गत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कारीगरों को लाभ पहुंचाने वाले कितने कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए हैं; और

(घ) देश में वस्त्र क्षेत्र में मानव संसाधन विकास हेतु सरकार द्वारा अन्य प्रमुख पहल क्या की जा रही है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) एवं (ख): वस्त्र मंत्रालय के अधीन विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय दो योजनाएं नामशः राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) कार्यान्वित करता है। इन योजनाओं के तहत, गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (जीएसएचपीपी), व्यापक कौशल उन्नयन कार्यक्रम (सीएसयूपी), डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यशाला (डीडीडब्ल्यू) जैसे विभिन्न प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं ताकि कारीगर अपनी उत्पादकता बढ़ा सकें। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बुनियादी कौशल, डिजाइन विकास और कौशल विकास प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, शिल्पकारों/कारीगरों को टूलकिट भी प्रदान किए जाते हैं ताकि वे घरेलू और वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकें।

(ग): राष्ट्रीय डिजाइन केन्द्र (एनडीसी), पूर्व में राष्ट्रीय डिजाइन एवं उत्पाद विकास केन्द्र (एनसीडीपीडी) के नाम से जाना जाता था, द्वारा गत पांच वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान लाभान्वित कारीगरों एवं कार्यान्वित कार्यक्रमों की संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष	कार्यक्रमों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
2020-21	इडुक्की केरल में 02 उद्यमिता विकास कार्यक्रम	40
	5 डिजाइन विकास कार्यशाला	250
	5 उन्नत टूलकिट वितरण कार्यक्रम	150
	कुल	440

2021-22	आगरा, फिरोजाबाद, जोधपुर, कन्या कुमारी एवं सहारनपुर में 40 उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)	800
	22 डिजाइन विकास कार्यशाला	540
	1 उन्नत टूलकिट वितरण कार्यक्रम	45
	कुल	1,385
2022-23	उन्नत टूलकिट वितरण कार्यक्रम	79
2023-24	जयपुर, इंदौर, वाराणसी, चित्रकूट, अशरीकांडी, कोंडापल्ली, किन्हल, कोप्पल, एटिकोप्पाका कुड्डापाह में 15 ईडीपी कार्यक्रम	300
	5 डिजाइन विकास कार्यशाला	150
	4 उन्नत टूलकिट वितरण कार्यक्रम	400
	कुल	850
2024-25	11 डिजाइन विकास कार्यशाला	330
	1 उन्नत टूलकिट वितरण कार्यक्रम	50
	6 व्यापक कौशल उन्नयन कार्यक्रम	180
	कुल	560

(घ): वस्त्र मंत्रालय एनटीटीएम एवं समर्थ योजना के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में मानव संसाधन विकास प्रदान करता है। एनटीटीएम (घटक IV) का उद्देश्य स्नातकों, अकुशल कामगारों, कौशल या पुनः कौशल प्राप्त करने के इच्छुक प्रोफेशनलों तथा तकनीकी वस्त्र के विभिन्न अनुप्रयोग क्षेत्रों में लगे कार्मिकों को शामिल करते हुए 50,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। समर्थ योजना का उद्देश्य मांग आधारित, नियोजन उन्मुख राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप कौशल कार्यक्रम प्रदान करना है ताकि संगठित वस्त्र और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने में उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें पूरा किया जा सके इसमें कताई और बुनाई को छोड़कर वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला शामिल है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के अंतर्गत 330 करोड़ रुपए का बजटीय आबंटन किया गया है।